

नई दिल्ली, गुरुवार, 20 जून, 2002

दवाओं से दूर करता अधिनियम

सं

सद ने हाल ही में ट्रिप्स यानी बोडिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर हुए समझौते के अंतर्गत पेटेंट अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं। इस संशोधन के दबाव में अनेक भासले आते हैं, लेकिन सर्वाधिक विवादाप्त इनसे स्वास्थ्य के क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव है। विशेषक के पारित होने के बाद भी इस विवाद के खंभ होने की संभावना नहीं लगती। लेकिन, दूसरी ओर संशोधनों पर इस बात के लिए भी हमले होने लगे हैं कि वे ट्रिप्स समझौते की शर्तों का पर्याप्त पालन नहीं करते। जबकि इन संशोधनों का अर्थ है 1970 के पेटेंट अधिनियम में बुनियादी परिवर्तन। ये संशोधन दवाओं तक लोगों की पहुंच को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे।

दवाओं तक पहुंच के मामले में इन संशोधनों के प्रभाव को ठीक से समझने के लिए 1970 में अपनायी गई व्यवस्था पर एक नियाह डालना जरूरी है। उस समय अपनाए गए कानून ने सर्वी दवाएं उपलब्ध कराने के मामले में मैटिकल पेटेंट धारकों के अधिकारों को बहुत हद तक सीमित कर दिया था। पेटेंट कानून के साथ-साथ मूल्य नियंत्रण जैसे अन्य उपायों ने बहुत सकारात्मक प्रभाव डाला था। उदाहरण के लिए 1960 के दशक में दवाओं की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के मुकाबले काफी कम होती गई थीं। दूसरे, इसके नीतों में अब एक सक्षम स्थानीय दवा उद्योग विकसित हो गया है। इसके अलावा, कुछ स्थानीय कंपनियों ने अपनी नई दवाएं बनाने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। ट्रिप्स समझौते ने इस क्षेत्र में अब व्यापक शर्तें लाई हैं। उन्हीं को हाल में अपनाया गया है। इन संशोधनों के विवादाप्त चरित्र से ही हम समझ पाते हैं कि सरकार विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में वर्षों शुरू में ट्रिप्स समझौते को मानने में अनिच्छा दिखा रही थी और वर्षों 1995 में संसद ने आरंभ में घले पेटेंट विशेषक को पारित करने से इकाई कर दिया था। ट्रिप्स ने भारत पर जो संशोधन लाए हैं, उनमें सभी पेटेंटों की अधिक बढ़ावक 20 लाख तक करना, पेटेंट योग्य वस्तुओं का दायरा बढ़ा करना तथा 2005 तक दवाओं पर उत्पाद पेटेंट लागू करना शामिल है। ट्रिप्स समझौते एक तरफ अनेक सख्त मापदंड तथा नियम लागू करता है, तो दूसरी ओर अनेक अपवार तथा शर्तें भी इसमें शामिल हैं। वर्षों से अधिकार विकासशील देशों में इन अपवादों तथा शर्तों को नजरअंदेज किया जाता रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर ट्रिप्स के प्रभाव से जुड़े विवादों के बाद, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पिछले मंत्री सम्प्रेषण ने इस विषय पर विचार किया तथा ट्रिप्स समझौते और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर एक घोषणा (दोहा घोषणा) पारित की। दोहा घोषणा ट्रिप्स समझौते में रद्दोबदल की वजाए मात्र वह दोहराती है कि जन स्वास्थ्य के

फिलिप कलैट

लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए सदस्य संघों को संधि में दिए गए अपवादों को पूरी तरह इसेमाल करने की इजाजत है। दूसरे शब्दों में योग्या भारत जैसे मुद्रकों को ट्रिप्स में दो गई छूटों तथा शर्तों को पूरी तरह इसेमाल में लाने के लिए अधिकृत करती है। संसद द्वारा हाल में पारित किए गए संशोधनों को दोहा घोषणा के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

नए पेटेंट अधिनियम में दो मूल्य प्रतिविधि दिखती हैं। एक और यह ट्रिप्स समझौते की जरूरतों का समान्यतः अवधारणा: पालन करता है। इस तरह योंटे तौर पर ये संशोधन पेटेंट धारकों के हितों तथा व्यापक समाज के हितों की ओर के पक्ष में कर देता है। मसलन, स्वास्थ्य क्षेत्र में पेटेंट की अवधि सात साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी गई है। संशोधनों में अधिनियम के उस महत्वपूर्ण प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है, जिसके तहत पेटेंट धारकों के लिए अपनी खोजें भारत में निर्मित करना अनिवार्य था। दूसरी ओर, नया पेटेंट अधिनियम जन स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रिप्स में शामिल कुछ छूटों तथा शर्तों का इसेमाल करता है। मसलन, अधिनियम की धारा 3 स्वास्थ्य संबंधी उन छूटों का इसेमाल करती है, जिनके तहत निर्धारित होता है कि कौन सी खोजें पेटेंट योग्य नहीं हैं। सर्वाधिक दिलचस्प तथा विवादाप्त नए प्रावधान 'अनिवार्य लाइसेंस' वाले अध्याय में हैं। ट्रिप्स में आम तौर पर पेटेंट अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के मुकाबले कहीं अद्या सख्त व अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था है। संशोधन दोहा घोषणा से खुली कुछ संभावनाओं से लाभ उत्पन्न की भव्य प्रयोग को नियन्त्रित करते हैं। अनिवार्य लाइसेंस पर लागू होने वाले समान्य सिद्धांतों को बयान करने वाला भाग विशेषकर गौरतलब है। इसमें कहा गया है कि स्वीकृत पेटेंटों को 'जन स्वास्थ्य की रक्षा की बाधित' नहीं करना चाहिए। दूसरे, इसे जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए केंद्रीय सकारात्मक रूप से दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इस भाग में फिर से दोहराया गया है कि पेटेंट के अधिकार पेटेंट ही खोज के लाभों को तकसीगत कीमतों पर मुहूर्या कराने के नजरिए से दिए जाने चाहिए।

कुल मिलाकर खंड 83 में निर्धारित किया गया अनिवार्य लाइसेंस का हाँचा स्वास्थ्य तक पहुंच के लिहाज से काफी प्राप्तिशील है लेकिन प्रतिपादित किए गए सिद्धांतों का समय उल्लेखनीय पहलू यह है कि वह केवल अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित अध्याय तक सीमित है। दोहा घोषणा जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सदस्य गर्ज्ये द्वारा कदम उठाने के अधिकार को मान्यता देती है। यह केवल अनिवार्य

लाइसेंस तक ही सीमित नहीं बल्कि जन स्वास्थ्य के द्वारा पर भी लागू होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी कोई बजह नहीं है कि खंड 83 में प्रतिपादित किए गए सिद्धांत केवल पेटेंट लागू करने के लिए पर ही माने जाएं। इस सिलसिले में एक बात और उल्लेखनीय है। दोहा घोषणा, खंड 83 के अलावा जो संवर्तनाएं देती हैं, संशोधित पेटेंट अधिनियम उनका कोई रचनात्मक उपयोग नहीं करता। लेकिन पेटेंट विशेषक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के कुछ सदस्यों ने मेडिकल पेटेंट की 20 वर्ष की समाप्त अवधि को न मानने का प्रस्ताव रखा था। दरअसल, प्रतिविधील सिद्धांत सम्बन्धी पेटेंट अधिनियम को अनुप्राप्ति नहीं करते। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में पेटेंट संबंधित बहस के लिए कमज़ोर होते जाते जब त्रिप्स का परिवाचक है। बस्तुतः दस वर्ष पहले स्वास्थ्य क्षेत्र में पेटेंट का सम्बल गहन बहस का विषय था, लेकिन नया पेटेंट अधिनियम बहस को केवल अनिवार्य लाइसेंस के एकल मुद्रे पर कोन्क्रिट कर अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी स्थिति निर्मित कर देता है जिसमें आगे चल कर व्यापक मुद्रे पर चर्चा करना बेहद कठिन हो जाएगा।

कुल मिला कर संशोधित पेटेंट अधिनियम ने 1970 के अधिनियम के विशेष तथा संदर्भी अधारित प्रावधानों को व्यस्त कर दिया है। यही इसका सबसे उल्लेखनीय पहलू है। 1970 के अधिनियम के विशेष समाप्तिक, आधिकारिक त्रूपीतियों के प्रति कानूनी सावधानी से जो रुख अंजायित किया था, उसने पिछले तीन दशकों के दौरान बखुली भारतीय जरूरतों को पूरा किया। इसलाई यह बहुत हैरानी की बात है कि बुनियादी नीति को पूर्ण समीक्षा किए जारी हो उन रियायतों को समाप्त कर दिया गया है, जो दवाओं तक बेहतर पहुंच बनाने में सहायता थीं। हकीकत में, समाप्तिक-आधिकारिक जरूरतों आज भी कोमोबेश पहले जैसी ही हैं, क्योंकि दवाओं तक सभी को पहुंच अभी नहीं बनी है। दूसरे, ट्रिप्स समझौते के तहत भारत के अधिक संदर्भी दायित्व तो बदल गए हैं, लेकिन हाल के दशकों में स्वास्थ्य के मानवाधिकार संबंधी दायित्वों में कोई बदलाव नहीं आया है। इसलिए स्वास्थ्य के मानवाधिकार पर पड़ने वाले विशेषकर सम्पूर्णी दायित्वों से विचार किए गए स्वास्थ्य के क्षेत्र में पेटेंट नीति के रुद्धाने में गहनत्वपूर्ण बदलाव करना हैरानी की बात लगती है। आगामी कुछ वर्षों में बहस की 'युजाइश' बनती है क्योंकि दवाओं पर उत्पाद पेटेंटों को 2005 से पहले लागू करने की बाध्यता नहीं है। इससे स्वास्थ्य को मजबूत करने से होने वाले नए-कुसानों पर व्यापक चर्चा की संभावना रहती है।

(लेखक इंटरनेशनल प्लायार्नेंटेल लॉरिस्च सेटर, जेनेवा के फेलो हैं। वर्तमान में लंदन विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं।)